न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

नाम पीठासीन अधिकारी–श्री श्रवणसिंह राठौड आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या–01 / 24 (राजस्व प्रार्थना पत्र) दायर दिनाकः–10.01.2024

निर्णय दिनाकः– 5/8/24

अनवान

1– श्री जयन्तिलाल पिता गंगाराम पंचाल जाति पंचाल मीणा उम्र वयस्क निवासी वमासा तह. सागवाडा जिला डूँगरपुर राज.

(प्रार्थी)

बनाम

1– श्रीमान् सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग,उपखण्ड सरोदा

2– श्रीमान् भुमिधारी राज्य सरकार जरीये तहसीलदार सागवाडा

(अप्रार्थी)

वकील प्रार्थी –श्री निखिल सोमपुरा

अप्रार्थी 1 व 2 — पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट

आदेश

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भुमि मौजा वमासा पटवाल हल्का वमासा भु.अभि.नि.क्षैत्र सरोदा मे खाता संख्या 452 / 503 के खसरा नम्बर 2399 रकबा 0.0566 हेक्टर की स्थित है। खसरा नम्बर 2399की भुमि सम्वत् 2022 तक प्रार्थी के दादा के नाम दर्ज रेकार्ड रही परन्तु और बाद उक्त भुमि प्रार्थी के पिता के नाम पर जरीए नामान्तरण संख्या 635 दिनाक 17.05.1986 को दर्ज रेकार्ड हुई परन्तु उसके पश्चात दिनाक 13.03.1989 मे उक्त भुमि सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम किस्म सडक के रूप मे दर्ज रेकार्ड हुई, परन्तु मौके पर आज भी कोई सडक नही हो उस पर प्रार्थी काबिज है। प्रार्थी के द्वारा उक्त भुमि को नक्शे लठ्ठे मे सही रूप से पैमुदगी करवाए जाने राजस्व केम्प के दौरान दिनाक 06.12.2021 को प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर हल्का पटवारी ने अपनी रिर्पोट दिनाक 03.01.2022 को पेश की जिस पर भुमिधारी तहसीलदार ने दिनाक 20.01.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 को पत्र जारी कर उनसे इस विषय पर रिर्पोट चाही जिस पर अप्रार्थी 1 ने अपनी रिर्पोट अप्रार्थी 2 को दिनाक 14.02.2022 को प्रस्तुत की गई। सम्पूर्ण जॉच उपरान्त अप्रार्थी 2 के द्वारा अपनी रिर्पोट दिनाक 18.07.2022 को उपखण्ड कार्यालय सागवाडा मे दी गई। प्रार्थी के खसरा नम्बर 2399 के राजस्व राजस्व रेकार्ड मे अप्रार्थी 1 के नाम से दर्ज रेकार्ड है तथा नक्शे लठ्ठे मे पैमुदीगी मे सुधार किया जा प्रार्थी के नाम से दर्ज रेकार्ड किया जा नक्शे लठ्ठे मे पैमुद किया जावे। राजस्व अधिकारीयो के द्वारा त्रूटी वश उक्त खाते मे प्रार्थी के नाम के स्थान पर अप्रार्थी संख्या 1 का नाम अकिंत कर नक्शे लठ्ठे मे सडक पैमुद कर दिया है। वादग्रस्त खसरा 2399 मे प्रार्थी का नाम जयन्तिलाल अकिंत किए जाने एव लठ्ठे मे पैमुद किए जाने

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा
जिला डूँगरपुर (राज.)

का निवेदन किया गया है। प्रार्थी को उक्त मामले की जानकारी होने पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिसे इन्द्राज दुरस्ती किया जाना आवश्यक है।

यह कि प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र नियमानुसार दर्ज किया जा अप्रार्थी को सम्मन जारी किए गये सम्मन तामिल पर अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा हल्का पटवारी के द्वारा पेश मौका पर्चा रिर्पोट मय अन्य दस्तावेज के साथ अपना जवाब मय रिर्पोट पेश की गई जिस पर अप्रार्थी 2 भुमिधारी के द्वारा अपना जवाब पेश कर प्रार्थी के पिता का नाम पुर्व होना स्वीकार किया तथा वर्तमान मे मौके पर कोई सडक नही है और नियमानुसार सडक सीमा से दुरी छोड मौके पर प्रार्थी खसरा नम्बर 2399 की 4 बिस्वा भुमि शेष रहती है जिस आधार पर वाद विषय पर विवाद शेष नही होने से प्रकरण का निरस्तारण इस स्टेज पर किया जाता है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली का ध्यानपुर्वक अवलोकन किया पत्रावली मे उपलब्ध रेकार्ड के अनुसार मौजा वमासा मे खसरा नम्बर 2399 रकबा 0.0566 हेक्टर मे प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड था। परन्तु बाद उक्त खसरा अप्रार्थी 1 के नाम दर्ज रेकार्ड हुआ। पत्रावली पर आए अप्रार्थी संख्या 2 के जवाब व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थी के नाम दर्ज करने की अशुद्वि होना प्रतित होता है। मौके पर वर्तमान कोई सडक नही है और सडक से नियमानुसार दुरी छोडने पर उक्त खसरा 2399 की 4 बिस्वा भुमि ही शेष बचती है। राजस्व रेकार्ड मे शुद्वि किए जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य है। प्रार्थी के खसरा नम्बर 2399 के अप्रार्थी के 1 के नाम दर्ज होने की अशुद्वि हुई है जिसे सुधार किया जाकर मौजा वमासा पटवार हल्का वमासा भु.अभि.नि.क्षैत्र सरोदा मे खाता संख्या 452/503 के खसरा नम्बर 2399 कुल रकबा 0.0566 हेक्टर मे से रकबा 0.0323 हेक्टर प्रार्थी दर्ज रेकार्ड किया जा नक्शे लठ्ठे मे पैमुद किया जाना न्यायोचित्त प्रतित होता है तथा खसरा नम्बर 2399 शेष रकबा 0.0162 हेक्टर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम पुर्वानुसार दर्ज रेकार्ड रहवे। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खाता संख्या 452/503 के खसरा नम्बर 2399 कुल रकबा 0.0566 हेक्टर मे से रकबा 0.0323 हेक्टर प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड किया जा नक्शे लठ्ठे मे पैमुद किया जावै। पालना हेतु तहरीर नियमानुसार अप्रार्थी संख्या 2 को जारी की जावे। पालना रिर्पोट आने पर उसे शामील पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाती है। पत्रावली नम्बर के कम हो दाखिल दफ्तर होवें।

निर्णय आज दिनाक 5/8/24 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(श्रवणसिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा